न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 279/2021 दायर दिनाँक 24.09.2021

वादी		प्रतिवादी
1. गणेशाराम दत्तक पुत्र जोधाराम उर्फ जोधिया जाति मेघवंशी निवासी खोखरो का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना ।

सत्यमेव जयते

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 28.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा खोखरो का बास पटवार हल्का सुद्रासन की शहरद में खेत खसरा सं0 839 रकबा 0.3400 हैक्टे0 वादी के गोदगृहिता पिता स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम के दत्तक पुत्र वादी है।

यह है कि वादी स्व. जोधिया पुत्र गंगाराम जाति मेघवंशी निवासी खोखरो का बास का दत्तक पुत्र है। स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम का दिनांक 30.10.1996 को स्वर्गवास हो गया है तथा वादी के दत्तक माता का स्वर्गवास जोधिया पुत्र गंगाराम के पहले ही हो गया था। स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम के पहले ही हो गया था। स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्रियां नही होने से वादी गणेशाराम जो स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम का छोटा भाई का लडका है, को हिन्दू जातिय रिति–रिवाज से समाज के मौजिज आदमियों व अपने भाई–बन्धवों व अपने रिश्तेदारों व मित्रगणों की उपस्थिति में स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम का दत्तक पुत्र मानते हुए जोधाराम उर्फ जोधिया ने गोद ले लिया था।

यह है कि वादी ने अपने दत्तक माता व पिता स्व0 जोधिया पुत्र गंगाराम के फौत होने पर जातिय रिति–रिवाज से अपने गोद गृहिता माता के सारे क्रियाकर्म सम्पन्न करवाये। तथा वादी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र राशनकार्ड, बैंक पासबुक जन आधार कार्ड खाता में पिता का नाम जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम ही लिखा हुआ है। जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम के फौत होने पर नूता बही लिखावट व जातिये राव (भाट) की लिखावट गणेशाराम को गोद लेने बाबत आदि में वादी के पिता का नाम जोधाराम उर्फ जोधिया ही दर्ज है। वादी गरीब किसान होने व बनपढ होने से व अज्ञानता वश जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम ने रजिस्ट्रर्ड गोदनामा नही करवाया जबकि वादी का जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम की समस्त चल व अचल सम्पति पर जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है।

यह है कि वादी अपने गोद गृहिता पिता जोधाराम उर्फ जोधिया पुत्र गंगाराम व उनके फौत होने पर उनके स्थान पर उनके नाम की उपरोक्त खेत खसरा सं0 839 रकबा 0.3400 हैक्टे0 की सम्पूर्ण खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त भूमि को वादी अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। इसलिए वादी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

कि मौजा खोखरो का बास पटवार हल्का सुद्रासन की शहरद में खेत खसरा सं0 839 रकबा 0.3400 हैक्टे0 की खातेदारी वादी गणेशाराम दत्तक पुत्र जोधाराम उर्फ जोधिया की घोषित की जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई ज ाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीया डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खोखरो का बास पटवार हल्का सुद्रासन की शहरद में खेत खसरा सं0 839 रकबा 0.3400 हैक्टे0 की खातेदारी वादी गणेशाराम दत्तक पुत्र जोधाराम उर्फ जोधिया के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **28.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 279/2021 दायर दिनाँक 24.09.2021

वादी		प्रतिवादी
1. गणेशाराम दत्तक पुत्र जोधाराम उर्फ जोधिया जाति मेघवंशी निवासी खोखरो का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना ।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 28.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनिया की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा खोखरो का बास पटवार हल्का सुद्रासन की शहरद में खेत खसरा सं0 839 रकबा 0.3400 हैक्टे0 की खातेदारी वादी गणेशाराम दत्तक पुत्र जोधाराम उर्फ जोधिया के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर,
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर,
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner